


समस्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राज्य में 15 मई, 2011 से प्रारम्भ होने वाले डी.डी.टी. कीटनाशक छिड़काव के प्रथम चरण प्रारम्भ होने की सूचना तथा द्वितीय कीटनाशक छिड़काव की कार्य योजना भिजवाएँ।

  
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

तार देने योग्य नहीं


राजमेडीकल

क्रमांक: मले./डीडीटी स्प्रे/मले/2011/360

दिनांक 13-05-11

प्रतिलिपि निम्न को डाक द्वारा तार की पुष्टि हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त तार को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
8. नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय को वास्ते तार।

  
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर